(42)

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – बिदिशा

अपील 5257/2018/विदिशा/आ०अ०

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

–– अपीलार्थी

विरूद्ध

1– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल (म.प्र.)

2– जिला आबकारी अधिकारी जिला – बिदिशा म.प्र.

3– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

–– प्रत्यर्थीगण

श्री ... द्वारा आज 24.8.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-9-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठां. क्रमांक 5 (1)/2018–19/4051 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 5257/2018/विदिशा/आ.अ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8/5/19	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/4051 में पारित आदेश दिनांक 31-7-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)09-10/840 दिनांक 26-3-2009 द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को विदिशा, सागर, शहडोल एवं देवास प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति प्रदाय की गई थी, जिसकी अवधि पत्र क्रमांक 5(1)09-10/767 दिनांक 27-3-2010 से 30-6-2010 तक एवं पत्र क्रमांक 5(1)10-11/1982 दिनांक 28-6-2010 से नये प्रदाय संविदाकारों के चयन अथवा दिनांक 30-9-2010 तक की अवधि के लिए तथा पत्र क्रमांक 5(1)09-10/2757 दिनांक 28-9-2010 से वर्ष 2010-11 की शेष अवधि के लिए देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति दी गई थी । जिला आबकारी अधिकारी, जिला विदिशा के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मद्यभाण्डागारों विदिशा, गंजबासौदा एवं सिरोंज पर माह अगस्त 2010, से मार्च 2011 तक की अवधि में भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/4051 में दिनांक 31-7-2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागारा विदिशा, गंजबासौदा एवं सिरोंज पर उपरोक्त अवधि में कुल 430 दिन भरी हुई बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से 1,07,500/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 1,27,500/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये ।	

आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा रेक्टीफाईड स्प्रिट एवं कांच की बोतलों में निर्धारित संग्रह रखा गया था, जिस कारण प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा देशी मदिरा का प्रदाय कांच की बोतलों में प्राप्ति हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । मद्यभाण्डागारों पर रेक्टीफाईड स्प्रिट एवं बोतलबंद मदिरा का संग्रह रखा जाना आपातकालीन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विहित वैधानिक व्यवस्था है, जिसका पालन आसवक द्वारा किया गया । तर्क में यह भी कहा गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा निविदा की शर्त क्रमांक 6(v) पर बिना विचार किये अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपत करने में भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि किसी प्रदाय क्षेत्र में मदिरा प्रदाय विफल नहीं हुआ है, न ही शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है और न ही किसी लायसेंसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से की गई है, इस कारण अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती । इस तर्क के समर्थन में ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 253, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 346, 1985 सुप्रीम कोर्ट 285 एवं 1990 सुप्रीम कोर्ट 1979 के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया । यह भी कहा गया कि शासन को क्या हानि हुई है, यह प्रमाण भार शासन पर था, जिसे शासन द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है । तर्क में यह भी कहा गया कि उभय पक्ष के मध्य एक संविदा है और भारतीय संविदा अधिनियम, 1972 की धारा 74 के प्रावधानों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है तब अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति नहीं लगाई जा सकती । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संविदा दोनों पक्षों पर बंधनकारी है, जिसके अंतर्गत किसी एक पक्ष को हुई हानि के लिए उस सीमा तक हानि की वसूल की जा सकती है । किसी शर्त के उल्लंघन पर प्रतिकात्मक शास्ति लगाई जा सकती है और संभावना के आधार पर मनमाने ढंग से शास्ति अधिरोपित करना अवैधानिक कार्यवाही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज पर

बिना विचार किए मनमाने रूप से आदेश पारित किया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित होकर निरस्त किए जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

1. देशी स्प्रिट के नियम 4(4) जो कि आज्ञापक उपबंध है, के अनुसार-

(4)(a) The licensee shall maintain at each "bottling unit" a minimum stock of bottled liquor and rectified spirit equivalent to average issue of five and seven days respectively of the preceding month. In addition, he shall maintain at each "storage warehouse" a minimum stock of bottled liquor equivalent to average issue of five days of the preceding month:

Provided that in special circumstances, the Excise Commissioner may reduce that above requirement of maintenance of minimum stock of rectified spirit and/or sealed bottles in respect of any "bottling unit" or "storage warehouse".

2. सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 के अनुसार एवं म.प्र. स्प्रिट नियमों के नियमों 4(4)क के अनुसार ईकाई को विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है।

3. ईकाई द्वारा प्रस्तुत मासिक पत्रक के अनुसार विदिशा में गंजबासौदा में कुल दिवस 430 रेक्टीफाईड बोतलबंद देशी मदिरा स्कंध का नहीं रखा गया है, जिसके अनुसार इकाई द्वारा अप्रैल 2010 एवं 2011 के मध्य विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है।

4. उपरोक्तानुसार ईकाई को आबकारी आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक 05(1)/2014-15/540 दिनांक 06.02.2015 प्रेषित करते हुए इकाई से उपरोक्त के संबंध में जवाब मांगा गया।

5. आबकारी आयुक्त प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् यह तथ्य पाया कि अपीलार्थी द्वारा एक पत्रक अनुसार 430 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है, जो कि म.प्र. स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) क व सीएस 1 लायसेंस के शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन है और उपरोक्त आधार पर नियम 12(1) के अधीन दण्डनीय होना मान्य किया गया है और उपरोक्तानुसार कुल 430 दिवस का न्यूनतम स्कंध भण्डार नहीं पाया गया और उपरोक्त के आधार पर 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ती अधिरोपित की गई, जो कुल 1,07,500/- रूपये हुआ और न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से 20,000/- रूपये अनियमितता हेतु

अधिरोपित कर 1,27,500/- रूपये शास्ती अधिरोपित की गई।

6. उपरोक्त अधिरोपित इकाई के ऊपर म.प्र. स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) क का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) अनुसार यह दण्डनीय होने से उपरोक्त के आधार पर अनियमितता एवं टेण्डर के शर्त के उल्लंघन होने पर इकाई पर 1,27,500/- रूपये की शास्ती अधिरोपित की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य से किसी ने भी इंकार नहीं किया गया है कि न्यूनतम स्कंध का भण्डार नहीं किया गया है, जो कि अपीलार्थी के स्वयं की स्वीकारोक्ति है। अपीलार्थी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि ठेकेदार की मांग के अनुसार प्रदाय करने हेतु न्यूनतम स्कंध रखा जाता है। अपीलार्थी द्वारा अपील में ऐसा कोई भी तथ्य वर्णित नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया एवं टेण्डर की उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा भाण्डागारों विदिशा, गंजबासौदा एवं सिरोंज पर अगस्त 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि में, कुल 430 दिन, भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है, जबकि भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध रखना विहित वैधानिक व्यवस्था है । भले ही अपीलार्थी द्वारा भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, जिसका पालन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 20,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मद्यभाण्डागारों विदिशा, गंजबासौदा एवं सिरोंज पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 430 दिवस भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखने से 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से 1,07,500/- रूपये अधिरोपित करते हुए कुल 1,27,500/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-7-2018 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

अध्यक्ष